

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 12017निगरानी

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2017/6009

दीपेन्द्र सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी  
ग्राम चितौरा तहसील गोहद जिला  
भिण्ड म.प्र.

श्री. श्री. ए. ए. ए. ए.  
द्वारा आज दि. 11-12-17 को  
प्रस्तुत

..... आवेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-12-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

पं. दि. 15-12-17

- रणवीर सिंह
- विशाल सिंह
- उदय सिंह
- जस सिंह पुत्रगण फूल सिंह गुर्जर  
निवासीगण ग्राम आलोरी तहसील  
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड
- अशोक सिंह पुत्र इन्दर सिंह जाट  
निवासी ग्राम चितौरा तहसील गोहद  
जिला भिण्ड हाल निवासी सेन्द्रल  
जेल ग्वालियर

..... अनावेदकगण

शाखा प्रधारी (रा.मं.)  
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय  
तहसीलदार महोदय तहसील गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण  
क्रमांक 58/ 2015- 16 / अ-6 में पारित आदेश दिनांक  
25.11.2017 के विरुद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,


आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर  
निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- यहकि, ग्राम आलोरी तहसील गोहद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/6009

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	